EDITORIAL

Swindle to BSNL workers

Majority of BSNL workers are not born employees of a PSU. They were Govt. employees recruited under provision of recruitment rules for the Central Govt employees. It is the Govt, which converted the department of Telecom services, Telecom operations into a Corporation, namely Bharat Sanchar, Nigam Limited. The Corporate entity came into function from 1st October, 2000. Before, that the private Telecose entered in this sector and they put pressure upon Govt in Centre to convert the Govt Telecom department into a corporation on the plea to provide level playing field to all operators in the sector, but the Govt stated that the need of corporation is to sharp implementation of new Telecom policy 1999. After decision of the Govt to corporatise the Telecom department, a great resentment among the workers arised under the apprehension to loss their job and Govt. pension. They also felt that the new entity will not be continues to be financially viable and thus the future of the employees may be doomed. The NFTE was the vanguard of the working employees of DTS, DTO and played a historic leading role by uniting all the other federations. Three days nationwide total strike took place demanding safeguard of the workers. The union Govt constituted a committee of six Ministers under the Chairmanship of Shri Ram Vilas Paswan, the then Minister for Communication, the GOM after several exercises came on the conclusion and they agreed with the demand of the workers. An agreement was reached on 08-09-2000 and the strike was called off. The union Cabinet approved the note submitted by the DOT and the Govt committed to safeguard the interest of workers.

The detail of the Cabinet decisions was published in the press information Bureau of India which is as follow **(i) GOM decides that Government will guarantee pensionary benefits to all Telecom Employees after corporatisation. (ii) Job security of the employees will be ensured even after their absorption in the corporate entity. (iii) Financial viability of the Bharat Sanchar Nigam Limited to be fully taken care of by the union Govt. The Govt will take responsibility to keep the BSNL financially viable.**

The workers felt themselves protected and agreed to opt for absorption in BSNL.

Keeping the full faith on commitment given by the union Govt. first the non-executive staff were opted to work in BSNL. Before, their option one other agreement was reached between **the BSNL top management and federation, which was approved by the DOT. In that agreement also it was indicated that age of superannuation for all non-board level employees in BSNL will be rgularised in accordance with Govt rules.**

Despite all these facts, now after 19 years of existence of BSNL, in name of revival plan Govt very drastically deciding to lowering the retirement age of the workers. Even the VRS is also against the spirit of the commitment given by the Govt at the time of Corpratisation. The Govt has experience in implementation of VRS twice in MTNL, but the company continued to declining. It proves that the methodology applied for the revival by lowering the retirement age of the employees to make compulsion before employees to opt for VRS.

The NFTE have written letters right from Secretary DOT, Hon'ble Minister for communication, Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble President of India seeking their intervention to honour the commitment, but we are in dark as nothing is transparent and what is cooking in the kitchen not known by the stake holders of the organization. Now the workers are feeling themselves deceived by the Govt, where it deviated from its commitment given in 2000.

In this situation the view of NFTE to keep close watch on the development and be vigilant also and continue to contribute better for the company with rending good services to the customers, but at the same time make your unity strong to face the challenges for which the NFTE will always be in forefront and it will stand with its traditional role of vanguard. "Vote for NFTE BSNL in 8th membership verification at Sl. No.-15, to safeguard the mighty entity BSNL and for protection of the interest of its employees".

संपादकीय

बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ षड़यंत्र

बीएसएनएल के बहुसंख्यक कर्मचारी जन्मजात लोक उपक्रम के कर्मचारी नहीं है। वे केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भर्ती नियमों के अनुकूल सरकारी कर्मचारी के रूप में भर्ती किये गये थे। भारत सरकार ने दूरसंचार सेवाएं एवं दूरसंचार परिचालन विभाग को निगम में परिवर्तित किया जिसका नामकरण भारत संचार निगम लिमिटेड हुआ। यह निगम 1 अक्तूबर 2000 से कार्यरत हुआ। इसके पूर्व निजी दूरसंचार परिचालक कंपनियां दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं और उन्होंने समान अवसर प्रदान करने के नाम पर दूरसंचार सेवाएं एवं दूरसंचार विभाग को निगम में परिवर्तन के लिए सरकार पर दबाव बनाया, हालांकि केंद्र सरकार ने निगम बनाने के कारण को वर्ष 1999 के नयी दूरसंचार नीति को त्वरित लागू करने के लिए बताया तथा सरकारी दूरसचांर विभाग को निगमित किया गया। विभाग के निगमित करने की खबरों ने कर्मचारियों में भारी रोष उत्पन्न किया। कर्मचारी अपनी नौकरी की सुरक्षा, सरकारी पेंशन से वंचित होने से भयभीत हो गये। कर्मचारियों को यह भी आशंका हुई कि भावी निगम आर्थिक रूप से जीवंत नहीं रह पायेगी। इन आशंकाओं एवं भविष्य की अस्थिरता के मद्देनजर कर्मचारियों ने एनएफटीई एवं अन्य फेडरेशनों के गोलबंदी के तहत दिनांक 6 सितंबर 2000 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये। राष्ट्रीय पैमाने पर पूर्ण हड़ताल रही और सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने तथा उस पर यथोचित कदम उठाने हेतु छः मंत्रियों की एक समिति का गठन किया। उक्त समिति ने वार्ता एवं विचार के साथ कर्मचारियों की मांगों को उचित ठहराया। इस संदर्भ में दिनांक 8 सितंबर 2000 को देर शाम में सरकारी पक्ष एवं कर्मचारी संगठनों के साथ एक समझौते पर दस्तखत किये गये। समझौते के आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने समझौते के आलोक में बनाये गये नोट (टिप्पणी) को अनुमोदित किया। श्री रामविलास पासवान तत्कालीन संचार मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में बनी समिति ने कर्मचारियों की चिंता एवं भय को उचित मानते हुए उनके हकों की सुरक्षा की दिशा में निर्णय लिये तथा 8 सितंबर 2000 को रात्रि से हड़ताल समाप्त की गई। कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधित मंत्रीपरिषद को निर्णय प्रेस इन्फार्मेशन ब्युरो ने प्रकाशित किया जिसमें (1) कर्मचारियों की नौकरी की पूर्ण सुरक्षा, (2) सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान एवं (3) भावी निगम को आर्थिक रूप से जीवंत रखने की पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की होगी और हर हालत में इसे आर्थिक रूप से जीवंत रखा जायेगा।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में कर्मचारियों ने राहत महसूस की तथा अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए निगम में कार्य करने का विकल्प देने को तैयार हुए।

विकल्प देने से पूर्व कर्मचारी संगठनों जो एनएफटीई के नेतृत्व में गोलबंद थे के साथ नये निगम के उच्चस्तरीय प्रबंधन ने एक समझौता किया जिसके तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु की भी चर्चा है तथा कहा गया है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति केंद्र सरकार के नियमों के अनुकुल होगी। उक्त समझौते का अनुमोदन भी तत्कालिन दूरसंचार सचिव द्वारा किया गया है। इन संरक्षणों के मद्देनजर कर्मचारियों ने अपना विकल्प दिया और उनके पेंशन आदि की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपतीय आदेश निर्गत किये गये हैं।

उपर्युक्त सभी साक्ष्यों के उपलब्ध होने के बावजूद अब 19 वर्षों के बाद सरकार ने बीएसएनएल के पुनरूद्धार के लिए बनाये गये उपायों के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने की अनुचित मुद्दे को भी शामिल किया गया है। हालांकि बीएसएनएल में समाहित कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लाना भी सितंबर 2000 के कर्मचारियों को दिये गये वचनबद्धता एवं कर्मचारियों के साथ किये गये समझौते के प्रतिकुल है।

एनएफटीई ने इस संबंध में दूरसंचार सचिव सहित, माननीय दूरसंचार मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति जी को उक्त तथ्यों के प्रति ध्यान आकृष्ट करते हुए, हस्तक्षेप करने एवं सेवानिवृत्ति की आयु कम नहीं करने का निवेदन

किया है परंतु हम अभी तक अंधकार में हैं कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायेगी अथवा अनदेखी की जायेगी। सरकार की ओर से कर्मचारी पक्ष को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है और एकतरफा कवायद की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सरकार की ओर से धोखा होने की बातें कर रहे हैं क्योंकि सरकारी पक्ष 2000 में हुए समझौते और सरकार द्वारा किये गये वचनबद्धता से सरकार मुकर रही है।

इस विषम घड़ी में एनएफटीई यह विचार रखती है कि धैर्य के साथ गतिविधियों पर निकटतम दृष्टि रखें साथ ही उपभोक्ता की सेवा में अधिक तत्परता के साथ योगदान करें क्योंकि उपभोक्ता ही हमारे प्रगति के आधार है। साथ ही अपने एकता को अधिकतम मजबूती दें ताकि हम किसी भी अनहोनी का डटकर मुकाबला कर सकें। इस कार्य में एनएफटीई पारंपरिक रूप से आपके संरक्षण के लिए अगली कतार में नजर आयेगी और हमेशा की तरह हिरावल दस्ता का किरदार निभायेगी।

आठवीं सदस्यता सत्यापन दिनांक 16 सितंबर 2019 को अधिसूचित है। अपने सेवा संबंधित दायित्वों की पूर्ण पूर्ति के साथ अपने संगठन एनएफटीई को अधिकाधिक मत प्राप्त कराने हेतु समन्वय एवं शालीनता के साथ प्रयास करें। मतपत्र में एनएफटीई का चुनाव चिन्ह क्रमांक 15 पर है। अधिक मतों से एनएफटीई को मजबूत करें ताकि बीएसएनएल एवं इसके कर्मचारियों की सुरक्षा में हम अग्रणी भूमिका निभा सकें।